10/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
T.I. प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण व
वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।
पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन
किया गया। पत्रावली पर उलब्ध रेकर्ड के
अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस
एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के
संबंध में विधि द्वारा स्थापित बिंदुओ
(1) प्रथम दृष्ट्या मामला बनना।
(2) सुविधा का संतुलन
(3) अपूरणीय क्षति
पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर
ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त सहखातेदारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
की भूमि है। जिसके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा-कस्सी को सही किए जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद लम्बित है जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 18-10-16 को जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखना न्यायसंगत नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner